महानिदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़

कार्यालय आदेश

संख्याः 002/न्यायालय प्रकरण तिथिः 7 जुलाई, 2022

विषयः– मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय तथा विद्वान जिला स्तरीय न्यायालयों एवं विभिन्न आयोगों व अधिकरणों द्वारा पारित आदेषों की पालना के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि भिन्न–भिन्न स्तरों के मा0 न्यायालयों द्वारा इस विभाग से सम्बधित पृथक–पृथक प्रकरणों के अंतर्गत समय–समय पर अंतरिम, अनंतिम अथवा अंतिम आदेश पारित किये जाते हैं, की पालना मुख्यालय की संबंधित शाखाओं व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित नहीं की जा रही है। यह स्थिति अवांछनीय व अक्षम्य आंकी गई है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में यदि किसी प्रकरण अथवा वाद के तहत किसी भी मा0 न्यायालय व अधिकरण अथवा आयोग द्वारा पारित उक्त प्रकृति के आदेशो की पालना समयबद्व ढ़ंग से नहीं की जाती है व इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रकरण अथवा विषय संपूर्ण तथ्यों व अभिलेखों के साथ आगामी कार्यवाही व निर्णय हेतु ससमय प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप संबंधित वादी अथवा पक्षकार अथवा याची द्वारा सक्षम न्यायालय में पूर्व में पारित किसी भी आदेश के कियान्वयन अथवा अनुपालन न होने का आधार बनाते हुये 'न्यायालय के आदेश की अवमानना' के बारे में कोई प्रकरण संस्थित किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में मुख्यालय स्तर पर संबंधित शाखा प्रभारी/लिपिक तथा सहायक, उपाद्यीक्षक/अद्यीक्षक सहित उप/संयुक्त व अतिरिक्त निदेशक अथवा/एवं कोई अन्य संबंधित अधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी व उनके अंतर्गत कार्यरत अन्वेषक एवं अद्यीनस्थ कर्मी संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराये/माने जायेंगे। तद्क्रम में वे हरियाणा नागरिक सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 व अन्य में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त सक्षम न्यायालय व अधिकरण अथवा आयोग द्वारा किसी प्रकार का अर्थदंड आरोपित किये जाने की स्थिति में ऐसी धनराशि की अदायगी का भार संयुक्त रूप से उपर्युक्त कर्मियों पर होगा, जोकि उनके वेतन अथवा पेंशन, जैसा लागू हो, से काटा जायेगा। इस विषय के बारे में उन्हें पृथक से कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त कार्यालय की विधि शाखा का यह उत्तरदायित्व होगा कि साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार ई–पत्रावली माध्यम से ऐसे लंबित प्रकरणों– मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों, के बारे में अद्योहस्ताक्षरी को संज्ञानित करायें ताकि विलंब के लिये

उत्तरदायी कर्मी/कर्मियों को चिहिनत किया जा सके व संबंधित प्रकरण में प्रत्येक स्थिति में समयबद्व ढ़ंग से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस आदेश की एक–एक प्रति समस्त अधिकारियों व कर्मियों को संप्रेषित की जाये व विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये। अतिरिक्त निदेशक तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही व अनुपालना सुनिश्चित करायेंगे व अनुपालन आख्या तिथि 20 जुलाई, 2022 से पूर्व या तक अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

ई–हस्ताक्षरित
पंकज यादव, भा.प्र.से.
महानिदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक 2596-8645 ई0ए06/एस0जे0ई0/2022 दिनांक 15-07-22

इसकी एक –2 प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यावाही हेतू भेजी जाती हैः

1. अपर निदेशक (प्रशा0) मुख्यालय, चण्डीगढ़
2. सयुक्त निदेशक, मुख्यालय, चण्डीगढ़
3. सभी उपनिदेशक, मुख्यालय, चण्डीगढ़
4. तकनीकी निदेशक, मुख्यालय, चण्डीगढ़
5. उप जिला न्यायावादी, मुख्यालय, चण्डीगढ़
6. लेखाधिकारी (लेखा/बजट) मुख्यालय, चण्डीगढ़
7. सभी शाखा प्रभारी, मुख्यालय, चण्डीगढ़
8. सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य
9. अधीक्षक, राजकीय अन्ध विधालय/प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, पानीपत
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रेवाड़ी मार्फत वृद्व एवं अपंग गृह, रेवाड़ी
11. जिला पुर्नवास अधिकारी, जिला पुर्नवास केन्द्र, भिवानी
12. आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, चण्डीगढ़
13. निजी सहायक, डी0जी0एस0जे0ई0

15/7/22
(नरेन्द्र सिंह)
अधीक्षक (प्रशासन)
कृतेः महानिदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़